

कार्यालय कलेक्टर जिला-दुर्ग एवं पदेन उप साचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 4 / 05 / 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की " महादेव घाट एनीकट परिक्षेत्र विकास योजना " के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

1. जिला :- दुर्ग
2. तहसील :- पाटन
3. ग्राम/नगर :- अमलेश्वर प.ह.नं. 05
4. भूमि का क्षेत्रफल :- 0.93हे.

| क्र. | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------|-------------|----------------------|
| 1. | 628 / 3 | 0.45 |
| 2. | 628 / 53 | 0.14 |
| 3. | 629 | 0.34 |
| योग | कुल 03 खसरा | 0.93 |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन जिला-दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त योजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित X. व्यक्तियों का पुनर्वासित किया X---जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामX.....तहसील .. X.....जिला..X.....की भूमि खसरा नंबरX...रकबा X.... हेक्टेयर का चयन किया गया है। पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).....X.....के कार्यालय में किया जा सकता है। (लागू नहीं)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अंकित आनंद)

कलेक्टर, जिला- दुर्ग

एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

= 02 =

पृ.क्रमांक / 662 / भू-अर्जन / अमलेश्वर / 19
प्रतिलिपि :-

पाटन, दिनांक 04 / 05 / 2019

- 1-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव छ.ग. को अगले राजपत्र के भाग -एक में शीघ्र प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2-संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन को दो दैनिक समाचार पत्रों में (जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा) प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
- 3-ग्राम पंचायत अमलेश्वर तह. पाटन के ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थल पर चस्पाकर मुनादी कराने हेतु अग्रेषित ।
- 4-कलेक्टर, कार्यालय, दुर्ग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रकाशन हेतु ।
- 5-उपखण्ड मजिस्ट्रेट (रा.) पाटन को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रकाशन हेतु ।
6. तहसीलदार पाटन, जिला-दुर्ग को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- 7-प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. दुर्ग को कलेक्टर दुर्ग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 8-सचिव, ग्राम पंचायत अमलेश्वर तह. पाटन को ग्राम में डोण्डी पीटकर मुनादी करने एवं सार्वजनिक स्थल में चस्पाकर प्रकाशन हेतु ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अंकित आनंद)

कलेक्टर, जिला- दुर्ग

एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग